सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1744/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. बंजरग पुत्र रामचन्द्र गुजर निवासी जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
2. रामकुवरी पुत्री रामचन्द्र गुजर निवासी जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. जौरूलाल पुत्र सुगनचन्द गुजर निवासी जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. महावीर प्रसाद जाट अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तह.सावर जिला अजमेर

निर्णय **दिनांकः–10.05.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 100 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 0.10 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा आदि किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। प्रतिवादी लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु वादीगण को 6 बार मौका दिया । वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण द्वारा तलबाना पेश नहीं किया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है ।

बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुये निवेदन किया कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 100 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 0.10 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या अन्य सरोकार नहीं है। वादी की स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है।जिसे स्वीकार फरमाने की प्रार्थना वादी के अधिवक्ता ने की है।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादीगण अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। वादग्रस्त आराजी में पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 207 पर प्रार्थी बंजरग का कब्जा नही होकर अन्य व्यक्तियों के पक्के मकान व बाडे बने हुये है तथा प्रार्थी को तो वास्तविक जगह का पता नही है जिससे पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । जिसमें वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी संलग्न दस्तावेज अनुसार है परन्तु पत्रावली में कई वादीगण को तलबी के अभाव में एवं पैरोकार के जवाब अनुसार वादीगण का मौके पर कब्जा नही होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना नहीं पाया जाता है। अतः वाद पत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर नहीं होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 100 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 0.10 है. की पत्थरगढी हेतु वादीगण का दावा तलबी के अभाव में एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार दावा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 11.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी